कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
दूरभाष नं. 2511920, फैक्स : 2511918 ईमेल– rcs.coop@nic.in

क्रमांक/स्थापना–1/विज्ञापन/ नया रायपुर, दिनांक : 31/10/2015

निःशक्तजन के बैंकलॉग के रिक्त पदों की भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/एफ 20–4/2015/आ.प्र./1–3, रायपुर दिनांक 25.08.2015 द्वारा निःशक्तजनों के लिये रिक्त पदों के बैकलॉग की पूर्ति विशेष भर्ती अभियान के तहत करने के निर्देश प्राप्त होने के फलस्वरूप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर सहकारिता विभाग में निःशक्तजनों के लिए रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक/2300/1782/2015/15–1, रायपुर, दिनांक 28.10.2015 में प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन के तारतम्य में छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासियों से विज्ञापन निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक निःशक्तजन उम्मीदवार द्वारा अपना आवेदन पत्र पूर्ण जानकारी एवं प्रमाण–पत्रों की सत्य प्रतिलिपियों के साथ **"पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंद्रावती भवन, बी–ब्लॉक, तृतीय तल, नया रायपुर"** के पते पर रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से ही भेजे जायें। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 27.09.2014 के अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिये पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत, निःशक्तता से ग्रस्त हों। आवेदक को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

निःशक्तजन के बैंकलॉग के रिक्त पदों का विवरण

क्र.	पदनाम	निःशक्तजनों हेतु कुल बैकलॉग रिक्तियों की संख्या			कुल योग	पात्र निःशक्तता का प्रकार
		अस्थि बाधित	श्रवण बाधित	दृष्टि बाधित		
1	2	3	4	5	6	7
1.	उप अंकेक्षक	–	02	–	**02**	OA, OL, OAL, BL, HH
2.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	–	–	**01**	OA, OL, OAL, BL, HH
3.	सहायक ग्रेड–3	02	01	01	**04**	OA, OL, OAL, BL, B, LV, HH
4.	भृत्य	01	02	02	**05**	OA, OL, B, LV, HH
महायोग योग– 12 पद						

(उपरोक्त तालिका में उल्लेखित निःशक्तता के प्रकार का आशय अग्रानुसार है :– OA=One Arm, OL= One Leg, OAL=One Arm & Leg, BL=Both Leg, HH=Hearing Handicaped, B =Blind, LV=Low Vision)

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 27.09.2014 के अनुसार कॉलम 3, 4 तथा 5 में दर्शित श्रेणी के निःशक्त उम्मीदवार न होने पर कॉलम 7 में दर्शित अनुसार

31/10/2015

अन्य पात्र श्रेणी के निःशक्त उम्मीदवार का चयन किया जा सकेगा। अतः उक्त श्रेणी के निःशक्त उम्मीदवार भी आवेदन पत्र प्रेषित कर सकेंगे।

2. पदवार शैक्षणिक एवं तकनीकी (कौशल संबंधी) योग्यताऐं :

क्र.	पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक एवं तकनीकी (कौशल संबंधी) योग्यता
1	2	3	4
1	उप अंकेक्षक	5200–20200+ग्रेड वेतन 2400	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि
2	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	5200–20200+ग्रेड वेतन 2400	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा 10 वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की 8,000 की–(KEY) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)।
3	सहायक ग्रेड–3	5200–20200+ग्रेड वेतन 1900	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र 3. कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की–(KEY) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)।
4	भृत्य	4750–7440+ग्रेड वेतन 1300	आठवी कक्षा उत्तीर्ण।

4. आयु सीमा – अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2015 को,

I. उप अंकेक्षक के पद के संबंध में 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष अधिक न हो,

II. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड–3 तथा भृत्य के पद हेतु 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष अधिक न हो,

III. उच्चतर आयु सीमा में छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी :–

(क) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पाँच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।

(ख) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी/वर्कचार्ज या कांटिजेंसी पेड कर्मचारियों तथा छत्तीसगढ़ राज्य के निगमों/मंडलों आदि के कर्मचारियों के संबंध में उच्चतम आयु सीमा 38 वर्ष रहेगी। यही अधिकतम आयु परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी स्वीकार्य होगी।

(ग) ऐसा अभ्यर्थी जो छटनी किया गया सरकारी सेवक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण अस्थाई सेवा की अधिक से अधिक 07 वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो,

31/10/2014

कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा परन्तु उसके **परिणाम–स्वरूप उच्चतम आयु सीमा, तीन वर्ष से अधिक न हो। स्पष्टीकरणः–''छटनी किये गये सरकारी सेवक''** से तात्पर्य है जो इस राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) या किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी सेवा में लगातार कम से कम छः माह तक रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय में अपना नाम रजिस्ट्रीकृत कराने या सरकारी सेवा में नियोजन हेतु **आवेदन देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो।**

(घ) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हो, अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनमुति दी जाएगी **परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।**

(ड.) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के अनुसार महिलाओं के लिए उच्चतर आयु में 10 वर्ष की छूट होगी।

(च) सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 1–2/2002/1/3, दिनांक 02.06.2004 एवं क्रमांक एफ 1–2/2002/1/3 दिनांक 10 फरवरी 2006 के अनुसार शिक्षा कर्मियों/पचांयत कर्मियों को शासकीय सेवा में भर्ती के लिए उतने वर्ष की छूट दी जाएगी जितने वर्ष शिक्षाकर्मी/पचांयतकर्मी के रूप में सेवा की है इसके लिए 06 माह से अधिक सेवा को एक वर्ष की सेवा मान्य की जा सकेगी तथा यह छूट अधिकतम 45 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।

(छ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों (वालंटरी होमगार्ड) एवं अनायुक्त अधिकारियों के मामले में उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा इस प्रकार की गई सेवा की **उतनी कालावधि तक छूट आठ वर्ष की सीमा के अध्याधीन रहते हुए दी जाएगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।**

(ज) विधवा, परित्यक्ता तथा तलाकशुदा महिलाओं के लिये **उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट होगी।**

(झ) आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दम्पतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी–3/10/85/3/1, दिनांक 28.06.1985 के संदर्भ में उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(ञ) राज्य (अर्थात् छत्तीसगढ़ राज्य) में प्रचलित ''शहीद राजीव पाण्डे पुरस्कार, गुण्डाधूर सम्मान, महाराजा पवीरचन्द्र भंजदवे सम्मान प्राप्त खिलाड़ियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त युवाओं को सामान्य उच्चतर आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(ट) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 3–2/2002/1–3 रायपुर दिनाकं 30.01.2012 के अनुसार संविदा पर नियुक्त व्यक्तियों को शासकीय सेवा में आवेदन पत्र प्रस्ततु करने हेतु निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में उतने वर्ष की छूट दी जाएगी, जितने वर्ष उसने संविदा के रुप में सेवा की है **यह छूट अधिकतम 38 वर्ष की आयु सीमा तक रहेगी।**

(ठ) छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 20–4/2014/आ.प्र./1–3 नया रायपुर दिनांक 27.09.2014 एवं 17.11.2014 के अनुसार निःशक्तता से ग्रस्त व्यक्तियों को निर्धारित अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट दी जाएगी।

4. **आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि** :– आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में वांछित प्रमाण–पत्रों एवं अंक सूचियों की सत्यापित छायाप्रतियों सहित लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, आवेदक की श्रेणी (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अनारक्षित/महिला इत्यादि) और निःशक्तता के प्रकार अस्थिबाधित/श्रवणबाधित/दृष्टिबाधित (OA, OL, OAL, BL, B, LV, HH) स्पष्ट अंकित कर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से कार्यालयीन समय में **दिनांक**

31/10

18.11.2015 को 5.00 बजे तक **''पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंद्रावती भवन, बी–ब्लॉक, तृतीय तल, नया रायपुर''** में प्राप्त हो जाना चाहिये। इस विज्ञापन के जारी होने के पूर्व तथा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से सीधे, ई–मेल या अन्य माध्यमों से भेजे गये आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे। डाक में होने वाले किसी भी प्रकार के विलंब के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

5. **आवेदन पत्र भरने संबंधी शर्तें/निर्देश/जानकारी :–**

1. प्रत्येक पदों के लिए पृथक–पृथक आवेदन करना होगा। आवेदक लिफाफे के उपर आवेदित पद का नाम, जाति वर्ग तथा आवेदक का नाम व पता स्पष्ट रूप से अवश्य लिखें। विज्ञापन जारी होने की तिथि या उसकी बाद की तिथि में खिंचवाया हुआ पासपोर्ट साईज की 02 रंगीन फोटो (फोटो का बैकग्राउंड सफेद या हल्के रंग का हो) एवं स्वयं का पता लिखा 9"X4" साईज का 02 लिफाफा संलग्न करें।
2. आयु सीमा मे छुट के संबंध में प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न होना आवश्यक है।
3. आवेदक को आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी अर्हता, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व अन्य की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
4. आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में दिनांक 18.11.2015 तक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंद्रावती भवन, बी–ब्लॉक, तृतीय तल, नया रायपुर के पते पर केवल रजिस्टर्ड डाक अथवा स्पीड पोस्ट से भेजना अनिवार्य होगा, सामान्य डाक से प्राप्त एवं हाथों–हाथ आवेदन पत्र स्वीकार नही किए जाएगें। जो आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ प्रकाशित प्रारूप/प्रपत्र एवं शर्तों के अनुसार नही होगें उस पर विचार नहीं किया जाएगा।
5. अपूर्ण, अस्पष्ट एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र अमान्य कर दिए जाएंगे। ऐसे आवेदन पत्रों के संबंध में कोई सूचना नही दी जावेगी।
6. विज्ञप्ति जारी दिनाक के पूर्व तथा अंतिम तिथि के पश्चात कार्यालय में प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जावेगा।
7. आवेदक आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक एवं अन्य अर्हताओं के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच स्वयं सुनिश्चित कर लें। शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु शासन द्वारा निर्धारित पात्रता पूर्ण करने का सम्पूर्ण दायित्व अभ्यर्थी का होगा। चयन एवं नियुक्ति की प्रक्रिया के किसी भी स्तर पर अपात्रता पाए जाने पर चयन/नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
8. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्था में सेवारत् है उन्हें अपना आवेदन पत्र अपने नियोक्ता के अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
9. चयन/नियुक्ति उपरांत यदि कोई जानकारी असत्य पायी जाती है तो की गयी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी।
10. चयनित उम्मीदवारों को दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।
11. यह नियुक्तियां छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें), नियम 1961 एवं विभिन्न संवर्गों के लिए छत्तीसगढ़ अधीनस्थ सहकारी (अलिपिकीय वर्गीय संवर्ग) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2015, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ सहकारी (लिपिक वर्गीय) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2015, छत्तीसगढ़ अधीनस्थ सहकारी चतुर्थ श्रेणी सेवा भर्ती नियम, 2015 से शासित होगी।
12. विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन (Interpretation) का अधिकार पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ का रहेगा एवं इस संबंध में किसी

31/10

अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नही किया जाएगा एवं पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

13. विज्ञाप्ति पदों पर की जा रही भर्ती के संबंध में आवश्यकतानुसार पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंद्रावती भवन, बी–ब्लॉक, तृतीय तल, नया रायपुर तथा संभागीय संयुक्त पंजीयक कार्यालय के सूचना पटल पर व www.coop.cg.gov.in तथा www.cgstate.gov.in में भी अपलोड की जावेगी।

14. उपरोक्त पदों पर नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक रिट पिटी. (सी) क्रमांक 591/2012, रिट पिटी. (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटी. (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटी. (सी) क्रमांक 594/2012 में पारित होने वाला अंतिम आदेश/निर्णय के अध्यधीन रहेगी तथा माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों को वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

6. चयन की प्रक्रिया :–

नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा गठित चयन समिति के माध्यम से चयन की कार्यवाही पूर्ण की जायेगी। साक्षात्कार/कौशल परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने, निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक के मेरिट आधार पर उस क्रम के अनुसार रिक्त पदों के प्रवर्गवार 10 गुना उम्मीदवारों को प्रायोगिक/कौशल परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

अंतिम चयन निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता, साक्षात्कार (पदवार तालिका में दर्शित अनुसार) व कौशल परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट के आधार पर किया जावेगा, इस हेतु निम्नानुसार अंक निर्धारित होंगे :–

1. उप अंकेक्षक

	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	**स्नातक में कुल प्राप्तांक के प्रतिशत** 95 % अंक	**साक्षात्कार**
अ	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि	95 अंक	05 अंक
	कुल निर्धारित अंक	100 अंक	

2. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर

	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	
अ	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा 10 वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा।	60 अंक (निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के 60 प्रतिशत के बराबर अंक)
	2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की 8,000 की–(KEY) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति के संबंध में कौशल परीक्षा।	40 अंक (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)
	कुल निर्धारित अंक	100 अंक

3. **सहायक ग्रेड–3**

	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	
अ	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र	60 अंक (निर्धारित शैक्षणिक अर्हता के कुल प्राप्तांक के प्रतिशत के 60 प्रतिशत के बराबर अंक)
	3. कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की–(KEY) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति के संबंध में कौशल परीक्षा।	40 अंक (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)
	कुल निर्धारित अंक	100 अंक

4. **भृत्य**

	न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता	
अ	आठवीं कक्षा उत्तीर्ण	मेरिट के अधार पर
	कुल निर्धारित अंक	100 अंक

7. नियुक्ति के लिए अपात्रता :–

1. कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु सीमा से पूर्व विवाह कर लिया हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा।
2. कोई भी उम्मीदवार जिसके दो से अधिक जीवित संतान है, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ हो, नियुक्ति के लिए पात्र नही होगा। परन्तु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवारी, 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, नियुक्ति के लिए निरर्हित नही होगा।

विभिन्न पदों के लिए चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी/सूचना पृथक से विभागीय वेबसाईट तथा सूचना पटल में प्रकाशित की जाएगी। किसी भी पद हेतु पृथक से डाक द्वारा कोई सूचना नहीं दी जायेगी। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी (नियम व शर्तों) तथा संशोधनों के लिये पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, सहकारिता विभाग की वेबसाईट www.coop.cg.gov.in तथा www.cgstate.gov.in का अनिवार्य रूप से नियमित अवलोकन करें।

31/10/2015

(जे. पी. पाठक)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

कार्यालय पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंद्रावती भवन, नया रायपुर
दूरभाष नं. 2511920, फैक्स : 2511918 ईमेल– rcs.coop@nic.in

क्रमांक/स्थापना–1/विज्ञापन/ नया रायपुर, दिनांक : 31/10/2015

निःशक्तजन के बैंकलॉग के रिक्त पदों की भर्ती हेतु संक्षिप्त विज्ञापन

छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के ज्ञापन क्रमांक/एफ 20–4/2015/आ.प्र./1–3, रायपुर दिनांक 25.08.2015 द्वारा निःशक्तजनों के लिये रिक्त पदों के बैकलॉग की पूर्ति विशेष भर्ती अभियान के तहत करने के निर्देश प्राप्त होने के फलस्वरूप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़ रायपुर सहकारिता विभाग में निःशक्तजनों के लिए रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने के लिए छत्तीसगढ़ शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन नया रायपुर के पत्र क्रमांक 2300/1782/2015/15–1, रायपुर, दिनांक 28.10.2015 में प्राप्त प्रशासकीय अनुमोदन के तारतम्य में छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासियों से विज्ञापन निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक निःशक्तजन उम्मीदवार द्वारा अपना आवेदन पत्र पूर्ण जानकारी एवं प्रमाण–पत्रों की सत्य प्रतिलिपियों के साथ **"पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंद्रावती भवन, बी–ब्लॉक, तृतीय तल, नया रायपुर"** के पते पर रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से ही भेजे जायें। छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 27.09.2014 के अनुसार केवल ऐसे व्यक्ति सेवाओं/पदों में आरक्षण के लिये पात्र होंगे, जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत, निःशक्तता से ग्रस्त हों। आवेदक को सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया निःशक्तता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

निःशक्तजन के बैंकलॉग के रिक्त पदों का विवरण

क्र.	पदनाम	निःशक्तजनों हेतु कुल बैकलॉग रिक्तियों की संख्या			कुल योग	पात्र निःशक्तता का प्रकार
		अस्थि बाधित	श्रवण बाधित	दृष्टि बाधित		
1	2	3	4	5	6	7
1.	उप अंकेक्षक	–	02	–	**02**	OA, OL, OAL, BL, HH
2.	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	01	–	–	**01**	OA, OL, OAL, BL, HH
3.	सहायक ग्रेड–3	02	01	01	**04**	OA, OL, OAL, BL, B, LV, HH
4.	भृत्य	01	02	02	**05**	OA, OL, B, LV, HH
महायोग –					**12 पद**	

(उपरोक्त तालिका में उल्लेखित निःशक्तता के प्रकार का आशय अग्रानुसार है :– OA=One Arm, OL= One Leg, OAL=One Arm & Leg, BL=Both Leg, HH=Hearing Handicaped , B =Blind, LV=Low Vision)

सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन दिनांक 27.09.2014 के अनुसार कॉलम 3, 4 तथा 5 में दर्शित श्रेणी के निःशक्त उम्मीदवार न होने पर कॉलम 7 में

31/10

दर्शित अनुसार अन्य पात्र श्रेणी के निःशक्त उम्मीदवार का चयन किया जा सकेगा। अतः उक्त श्रेणी के निःशक्त उम्मीदवार भी आवेदन पत्र प्रेषित कर सकेंगे।

2. पदवार शैक्षणिक एवं तकनीकी (कौशल संबंधी) योग्यताऐं :

क्र.	पदनाम	वेतनमान	शैक्षणिक एवं तकनीकी (कौशल संबंधी) योग्यता
1	2	3	4
1	उप अंकेक्षक	5200–20200+ग्रेड वेतन 2400	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से वाणिज्य में स्नातक उपाधि
2	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	5200–20200+ग्रेड वेतन 2400	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। अथवा 10 वीं परीक्षा उत्तीर्ण एवं किसी मान्यता प्राप्त संस्था से त्रिवर्षीय डिप्लोमा। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र तथा हिन्दी एवं अंग्रेजी में डाटा एन्ट्री की 8,000 की–(KEY) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)।
3	सहायक ग्रेड–3	5200–20200+ग्रेड वेतन 1900	1. किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण अथवा पुरानी हायर सेकण्डरी परीक्षा के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण। 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/प्रोग्रामिंग में एक वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र 3. कम्प्यूटर में हिन्दी टाईप लेखन में 5,000 की–(KEY) डिप्रेशन प्रति घंटे की गति (गति के लिए कौशल परीक्षा ली जाएगी)।
4	भृत्य	4750–7440+ग्रेड वेतन 1300	आठवी कक्षा उत्तीर्ण।

1. **आयु सीमा** – अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2015 को,
   I. उप अंकेक्षक के पद के लिए 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो,
   II. डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड–3 तथा भृत्य पद के पद के लिए 18 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष अधिक न हो,
   III. उच्चतर आयु सीमा में छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये गये निर्देशों के तहत छूट की पात्रता होगी।
4. **आवेदन पत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि** :– आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में वांछित प्रमाण–पत्रों एवं अंक सूचियों की सत्यापित छायाप्रतियों सहित लिफाफे के ऊपर आवेदित पद का नाम, आवेदक की श्रेणी (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./अनारक्षित/महिला इत्यादि) और निःशक्तता के प्रकार अस्थिबाधित/श्रवणबाधित/दृष्टिबाधित जैसा कि उपरोक्त तालिका में उल्लेखित है। स्पष्ट अंकित कर पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट से कार्यालयीन समय में **दिनांक 18.11.2015** को 5.00 बजे तक **"पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, विभागाध्यक्ष कार्यालय, इंद्रावती भवन, बी–ब्लॉक, तृतीय तल, नया रायपुर"** में प्राप्त हो जाना चाहिये। इस विज्ञापन के जारी होने के पूर्व तथा अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से सीधे, ई–मेल या अन्य माध्यमों से

भेजे गये आवेदन–पत्र स्वीकार नहीं किये जावेंगे। डाक में होने वाले किसी भी प्रकार के विलंब के लिये यह कार्यालय जिम्मेदार नहीं होगा।

5. उपरोक्त पदों पर नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका क्रमांक रिट पिटी. (सी) क्रमांक 591/2012, रिट पिटी. (सी) क्रमांक 592/2012, रिट पिटी. (सी) क्रमांक 593/2012 तथा रिट पिटी. (सी) क्रमांक 594/2012 में पारित होने वाला अंतिम आदेश /निर्णय के अध्यधीन रहेगी तथा माननीय न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार विज्ञापित किए गए पदों को वर्गवार रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन भी हो सकता है।

6. पदो के लिये चयन प्रक्रिया की जानकारी रोजगार नियोजन में प्रकाशित विस्तृत विज्ञापन तथा विभागीय वेबसाईट/राज्य शासन की वेबसाईट (www.coop.cg.gov.in तथा www.cgstate.gov.in) में देखा जा सकता है।

7. परीक्षा हेतु पात्र अभ्यर्थियों की सूची विभागीय वेबसाईड में प्रकाशित की जाएगी। इस संबंध में पृथक से कोई सूचना अभ्यर्थी को व्यक्तिगत रूप से डाक या किसी अन्य माध्यम से प्रेषित नहीं की जाएगी।

किसी भी पद हेतु पृथक से डाक द्वारा कोई सूचना नहीं दी जायेगी। आवेदन पत्र का प्रारूप एवं विस्तृत जानकारी (नियम व शर्तों) तथा संशोधनों के लिये पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, सहकारिता विभाग की वेब–साईट www.coop.cg.gov.in तथा www.cgstate.gov.in का अनिवार्य रूप से नियमित अवलोकन करें।

(जे. पी. पाठक)
पंजीयक
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़

पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़, नया रायपुर द्वारा विज्ञापित निःशक्तजनों की बैकलॉग–भर्ती हेतु विशेष भर्ती अभियान

उप अंकेक्षक/सहायक ग्रेड–3/डाटा एन्ट्री ऑपरेटर/भृत्य के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

प्रति,

पंजीयक,
सहकारी संस्थाएं, छत्तीसगढ़,
बी–ब्लाक, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन,
नया रायपुर (छ.ग.)

पासपोर्ट साईज फोटो चस्पा करें (स्वयं के द्वारा सत्यापित)

विषय :– .....पद के लिए आवेदन।

1. आवेदित पद का नाम .....
2. आवेदक का पूरा नाम .....
   अ–हिन्दी में .....
   ब–अंग्रेजी में (केपिटल लेटर्स में) .....
3. पिता/पति का नाम .....
4. आवेदक की जन्म तिथि
   अ–अंको में .....
   ब–शब्दों में .....
   स–दिनांक 01.01.2015 को आयु वर्ष.....माह.....दिन.....
5. लिंग (पुरूष/महिला) .....
6. आवेदक का वर्ग एवं जाति वर्ग ..... एवं जाति .....
   (अनारक्षित/अपिव/अजजा/अजा) सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण–पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।
7. निःशक्तता का प्रकार (प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करें)
   अ–अस्थिबाधित (OA, OL, OAL, BL) .....
   ब–दृष्टिबाधित (B, LV) .....
   स–श्रवणबाधित (HH) .....
   (OA=One Arm, OL= One Leg, OAL=One Arm & Leg, BL=Both Leg, HH=Hearing Handicapt , B =Blind, LV=Low Vision)
8. शैक्षणिक एवं तकनीकी योग्यता

क्रमांक	परीक्षा का नाम	बोर्ड/वि.वि. का नाम	उत्तीर्ण करने का वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	पाँचवी					
2.	आठवीं					
3.	दसवीं					
4.	बारहवीं					
5.	स्नातक					
6.						
7.						
8.						
9.						
10.						

9. पत्र व्यवहार का वर्तमान पूर्ण पता. .....
.....
.....

10. स्थाई पता. .....
.....
.....

11. दूरभाष/मोबाईल नम्बर .....
12. ई–मेल .....
13. क्या आवेदक छ.ग. राज्य का मूल निवासी है। (हाँ/नहीं) .....
(सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति संलग्न करें।)
14. क्या आवेदक विवाहित है ? (हाँ/नहीं) .....
अ–यदि विवाहित है, तो विवाह की तिथि .....
ब–जीवित संतान की संख्या .....
स–यदि दो से अधिक जीवित संतान है तब अंतिम संतान की जन्म तिथि .....
15. शासकीय/अर्द्धशासकीय संस्था में कार्यरत हो तो विवरण (नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र संलग्न करे।) .....
16. अ–विज्ञापन जारी होने की तिथि या उसकी बाद की तिथि में खिंचवाया हुआ पासपोर्ट साईज की 02 रंगीन फोटो (फोटो का बैकग्राउंड सफेद या हल्के रंग का हो)
ब–स्वयं का पता लिखा 9" x4" साईज का 02 लिफाफा संलग्न करें।
17. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची
    1. निःशक्तता से संबंधी प्रमाण–पत्र .....
    2. जन्मतिथि से संबंधी प्रमाण–पत्र .....
    3. जाति/वर्ग से संबंधी प्रमाण–पत्र .....
    4. छ.ग. मूलनिवासी प्रमाण–पत्र .....
    5. नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण–पत्र .....
    6. शैक्षणिक अर्हता से संबंधित प्रमाण–पत्र .....
    7. .....

दिनांक : .....
स्थानः .....

आवेदक का हस्ताक्षर .....
नाम .....

–:: घोषणा ::–

मैं ..... पिता/पति ..... निवासी ..... उम्र ..... एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में दिये गये समस्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यदि उक्त विवरण तथा संलग्न अभिलेख झूठा/असत्य पाया जाता है तो मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति निरस्त किये जाने योग्य होगी।

दिनांक : .....
स्थानः .....

आवेदक का हस्ताक्षर .....
नाम .....